प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

6 वर्ष की मासूम बालिका से दुष्कर्म/दरिंदगी करने वाला अभियुक्त 12 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

दिनांक 22.09.26

उ.प्र.शासन की मंशानुसार चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में महिला संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय, श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा दिनांक 21.09.26 को थाना थानगांव क्षेत्रान्तर्गत बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग में संलिप्त अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे।

उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 22.09.26 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महमूदबाद श्री कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना थानगांव व मिशनशक्ति पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में थाना थानगांव पर पंजीकृत **मु0अ0स0 182/2026 धारा 96/65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पाक्सो एक्ट** से संबंधित अपराधी **अवधराम उर्फ भोला शंकर पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम सद्दूपुर महरिया थाना सदरपुर जनपद सीतापुर** को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। **मौके से** एक अदद तमंचा नाजायज 12 बोर , दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर , दो अदद खोखा कारतूस 12 बोर , रूपये 350/ नगद बरामद हुए है।

उल्लेखनीय है कि वांछित अभियुक्तों की मुठभेड़ में गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा 25,000/- रुपये का इनाम प्रदान किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:दिनांक 21.09.2026 को अभियुक्त द्वारा मासूम बालिका को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म की गंभीर घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना थानगांव पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 96/65(2) BNS व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 22.09.2026 की भोर में प्रभारी निरीक्षक विमल गौतम के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों द्वारा पतारसी-सुरागरसी के दौरान सटीक सूचना पर ग्राम बेर्रा के पास घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी,पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व चेतावनी के बाद की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया, जिसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया। प्राथमिक उपचार हेतु घायल अभियुक्त को अस्पताल भिजवाया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त: अवधराम उर्फ भोला शंकर पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम सद्दूपुर महरिया थाना सदरपुर जनपद सीतापुर

बरामदगी: एक अदद तमंचा नाजायज 12 बोर , दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर , दो अदद खोखा कारतूस 12 बोर , रूपये 350/ नगद

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0स0 182/2026 धारा 96/65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पाक्सो एक्ट थाना थानगांव सीतापुर
- मु0अ0सं0 183/26 धारा धारा 109(1) BNS व 25(1-बी) आयुध अधिनियम थाना थानगांव सीतापुर

पुलिस टीम: प्रभारी निरीक्षक विमल गौतम, उ0नि0 गिरीश गंगवार,उ0नि0 नरेन्द्र बहादुर मिश्र,उ0नि0 शिव कुमार,का0 बिट्टू राम, का0 राजीव कुमार, का0 शिवम, का0 मनोज पाल, का0 हेमंत चौधरी,म0का0 पुष्पा, म0का0 रजनी सिंह, म0का0 रानू, म0का0 सरोजनी वर्मा